

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

:- कार्यालय आदेश :-

क्रमांक :- 122

दिनांक :- 17-12-2025

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या 21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 पृष्ठांकन क्रमांक सामान्य/XII/11/1990/SC-I/1893 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 09/ई.वी./2024 दिनांक 20.11.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 दिसम्बर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त आदेश में इस न्यायालय को दिये निर्देशानुसार इस न्यायक्षेत्र/सम्पूर्ण सेशन खण्ड में उक्त अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए इस न्यायक्षेत्र में नियुक्त निम्न मजिस्ट्रेट को इनके नाम के आगे अंकित अवधि हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है। ये इस न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड का आवश्यक व दैनिक कार्य भी करेंगे।

क. सं.	शीतकालीन अवकाश अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारी का पदनाम	शीतकालीन अवकाश अवधि
1.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	दिनांक 25 दिसम्बर 2025 से 28 दिसम्बर 2025
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण	दिनांक 29 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025

— sd —

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर

क्रमांक : स्था./2025/ 1464

दिनांक : 17-12-2025

प्रति निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त हैं :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर ।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर ।
4. विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/पोकरण ।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।
7. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर ।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण ।
9. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।
10. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ।
11. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकड़ा मुख्यालय-पोकरण
12. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को समस्त थानाधिकारी को सूचित करने हेतु ।
13. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर/पोकरण ।
14. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
15. नोटिस बोर्ड, न्यायालय-हाजा ।
16. कार्यालय प्रति ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर